



**कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)**

**सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001**

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./२५९३

बिलासपुर, दिनांक ३१.१२.२०१६

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)  
रायपुर छत्तीसगढ़

विषय:- Diversion of 153.4481 ha. forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act' 1980 coming under to Construction of 765 KV D/C Jharsuguda-Dharamjaygarh 2<sup>nd</sup> Transmission line.

**Online Registration/Proposal No: FP/CG/TRANS/8080/2014 Dated 22.11.2014**

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर का पत्र क्र:- FC-III/CH-09/2016- NGP/918 dated 03.10.2016
2. छत्तीसगढ़, शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी नया रायपुर का पत्र क्र एफ 5-22/2016/10-2 दिनांक: 09/11/2016
3. आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/2711/दिनांक 16.11.2016

—0—

विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार का पत्र क्र./ FP/CG/TRANS/8080/2014 Dated 22.11.2014 द्वारा बिन्दू क्रमांक (i) से (viii) तक की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है , जिसका पालन प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी रायगढ़, धरमजयगढ़ एवं कोरबा के प्रतिवेदन अनुसार विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	विवरण	निराकरण										
1	Forest patch wise density of all patches involved in the proposal has not been provided in the proposal.	प्रस्तावित वन भूमि की वनमण्डलवार, कक्षवार घनत्व की जानकारी संलग्न है। (अनुलग्नक-01)										
2	Examination of kml/shape files, it is revealed that out of 9 patches indentified for CA, 4 patches were observed to be unsuitable as 3 patches appears to have density more than 40% (1 in Dharamjaygarh (OA No. 1445), 2 in Korba (OA No. 1465 and 1443) while part of 1 patch in Raigarh (964P) appears to be encroachment (agriculture).Further, as per the provision of the component of CA scheme, the State Government has incorporated the provision of protection for 10 years. However, the provisions further needs to be elaborated to confirm if the provision of protection incorporates watchmen and fencing also.	व.म.अ. रायगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार कक्ष क्रमांक 964 पी में 16.00 हेक्टर अतिक्रमित भूमि के स्थान पर कक्ष क्रमांक 933 पी में 16.00 हेक्टर नई वैकल्पिक क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्ताव तैयार कर DGPS रिपोर्ट (KML, Shape file) की CD संलग्न है।  व.म.अ. धरमजयगढ़ के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये चयनित स्थल कक्ष क्रमांक ओ ए 1445 एवं ओ ए 1468 की जांच वन परिक्षेत्राधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी दक्षिण कोरबा के द्वारा कराया गया जिसको अधिक घनत्व एवं अतिक्रमण / वन अधिकार पत्र वितरण के कारण उक्त दोनों स्थलों को निरस्त कर उसके बदले में निम्नानुसार स्थल का चयन कर प्रस्ताव तैयार कर/ DGPS रिपोर्ट (KML, Shape file) की CD संलग्न है।										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र</th> <th>कक्ष क्र</th> <th>वनमण्डल</th> <th>परिक्षेत्र का नाम</th> <th>प्रस्तावित रकबा हे</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OA1449</td> <td>कोरबा</td> <td>करतला</td> <td>16.509</td> </tr> </tbody> </table>	क्र	कक्ष क्र	वनमण्डल	परिक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित रकबा हे	1	OA1449	कोरबा	करतला	16.509
क्र	कक्ष क्र	वनमण्डल	परिक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित रकबा हे								
1	OA1449	कोरबा	करतला	16.509								

		2	P1140	कोरबा	कुदमूरा	20.00																									
		3	RF80	जांजगीर- चाम्पा	बलौदा	30.902																									
		Total				67.411																									
		<p>व.म.अ. कोरबा के प्रतिवेदन अनुसार में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये चयनित स्थल कक्ष क्रमांक OA1443 एवं OA1465 की घनत्व की जांच डेंसोमीटर एवं अतिक्रमण की जांच वन परिक्षेत्राधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी के द्वारा कराया गया जो निम्नानुसार है ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कक्ष क्र</th> <th>पूर्व में प्रस्तावित रकबा</th> <th>अनुपयुक्त स्थल</th> <th>वर्तमान में प्रस्तावित रकबा</th> <th>घनत्व प्रतिशत में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OA1465</td> <td>12.736</td> <td>--</td> <td>12.736</td> <td>34.4</td> </tr> <tr> <td>OA1443</td> <td>26.742</td> <td>3.579</td> <td>23.163</td> <td>38.4</td> </tr> <tr> <td>OA1467</td> <td>13.680</td> <td>0.931</td> <td>12.749</td> <td>40 से कम</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>53.158</td> <td>4.510</td> <td>18.648</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त अनुपयुक्त स्थल के बदले में कक्ष क्रमांक 1140P परिक्षेत्र कुदमूरा में 4.510 हेक्टर का चयन किया गया है एवं स्थल की घनत्व की जांच डेंसोमीटर से कराया गया जिसमें 34.7 प्रतिशत पाया गया। अतः स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं 4.510 हे. का वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव तैयार कर DGPS रिपोर्ट (KML, Shape file) की CD संलग्न है।</p> <p>10 वर्षीय उच्चतकनीकी वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सिंचित) योजना तैयार किया गया है जिसमें बारबेड वायर फेंसिंग एवं सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। (अनुलग्नक-02)</p>					कक्ष क्र	पूर्व में प्रस्तावित रकबा	अनुपयुक्त स्थल	वर्तमान में प्रस्तावित रकबा	घनत्व प्रतिशत में	OA1465	12.736	--	12.736	34.4	OA1443	26.742	3.579	23.163	38.4	OA1467	13.680	0.931	12.749	40 से कम	Total	53.158	4.510	18.648	
कक्ष क्र	पूर्व में प्रस्तावित रकबा	अनुपयुक्त स्थल	वर्तमान में प्रस्तावित रकबा	घनत्व प्रतिशत में																											
OA1465	12.736	--	12.736	34.4																											
OA1443	26.742	3.579	23.163	38.4																											
OA1467	13.680	0.931	12.749	40 से कम																											
Total	53.158	4.510	18.648																												
3	Land identified for raising CA is free from encroachment has not been certified by the DCFs concerned.	<p>वनमण्डलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार रायगढ़, धरमजयगढ़ एवं कोरबा द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता एवं अतिक्रमण नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-03)</p>																													
4	Examination of the proposal submitted online revealed that complete documents i.e. annexure referred in the part-II have not been uploaded. The same needs to be uploaded. Revised Part-II may be submitted without giving any references along with the field inspection notes and reasons for recommending the projects.	<p>वनमण्डलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के संबंध में संसोधित भाग-II संलग्न है जिसको आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (अनुलग्नक-04)</p>																													

5	CCF, Bilaspur has mentioned that RoW be reduced from 10m to 3m, however, as per guidelines Row for 765 kV line is 10m, therefore, the State Government/CCF may convey its considered opinion on the matter that in case the Row is not reduced, the proposal stands recommending or not.	The area to be felled under each conductor can be increased to 10m, with a condition to develop grass land equivalent to double the area of felling with in Row or catchment area of transmission line in order to ensure food security to wild life
6	KML files pertaining to the CA have not been uploaded properly. As assessed on the websote of the MoEF &CC on 01.10.2016, only 5 kml files pertaining to the Raigarh Forest Division have been uploaded while uploading the same files has been repeated in case of Korba and Dharamjaygarh Divisions. The correct kml files needs to be uploaded in respect of CA area identified in Korba and Dharamjaygarh Divisions.	व.म.अ. रायगढ़ के अनुसार MoEF & CC के वेबसाइट संबंधी समस्या का समाधान कर समस्त अभिलेखों को अपलोड किया गया है।
7	KML files for 30 patches of the forest land involved in the proposal have been submitted. However, single KML file for the entire stretches of the transmission line may be submitted for the ease of analysis of the forest area using decision support system.	व.म.अ. रायगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार सभी 30 वन कक्षों का एकल KML फाईल तैयार कर CD संलग्न है। (अनुलग्नक-05)
8	The total forest area mentioned in the certificates of the concerned district Collectors issued under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 is 166.007 ha while diversion is sought only for 153.4481 ha. The discrepancy in the area may be justified by the State Government. Further, records of the consultations/meetings of the sub-divisional level committee in Korba District have not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र का कुल 153.448 हेक्टर = (जिला रायगढ़ का 126.869 हेक्टर (+) जिला कोरबा का 26.579 हेक्टर) संसोधित वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र की मूलप्रति को पूर्व में वरष्ठि कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है अतः पुनः छायाप्रति संलग्न है।  अनुभाग स्तरीय समिति जिला कोरबा की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-06)

सहपत्र - उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./तक. 12493  
प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़, कोरबा एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. सहायक महाप्रबंधक, पावरग्रिड, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ.ग.

बिलासपुर, दिनांक - 31.12.2016

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ.ग.